भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा
मौखिक प्रश्न संख्या : 47
गुरुवार, 28 नवंबर, 2024/7 अग्रहायण, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

होसुर विमानपत्तन का विकास

***47 श्री माथेश्वरन वी.एस.:**

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को होसुर विमानपत्तन, जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स पालिसी, 2008 के अंतर्गत शामिल नहीं है, के विकास/उन्नयन के लिए तमिलनाडु राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सेलम विमानपत्तन के विस्तार का कार्य किस चरण में है तथा इसके पूरा होने की सम्भावित समय-सीमा क्या है;

(ग) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, चेन्नई/मंत्रालय को चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर जून, 2024 से अब तक टोल शुल्क की वूसली किए जाने के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"होसुर विमानपत्तन का विकास" के संबंध में श्री माथेश्वरन वी.एस द्वारा पूछे गए दिनांक 28.11.2024 के लोक सभा मौखिक प्रश्न संख्या 47 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) : होसुर में मौजूदा हवाईपट्टी का स्वामित्व मैसर्स तनेजा एयरोस्पेस एंड एविएशन लिमिटेड (टीएएएल) के पास है और उसके द्वारा एक निजी हवाईपट्टी के रूप में इसका संचालन किया जाता है।

क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस) – 'उड़ान' (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत बोली प्रक्रिया के पहले चरण में, टर्बो एविएशन प्राइवेट लिमिटेड ने आरसीएस मार्ग चैन्ने-होसुर-चैन्ने के लिए बोली प्रस्तुत की थी। तथापि, नागर विमानन मंत्रालय और बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (बीआईएएल) के बीच रियायत समझौते के प्रावधानों के कारण एयरलाइन को यह मार्ग अवॉर्ड नहीं किया गया, जिसमें यह प्रावधान है कि किसी भी नए या मौजूदा हवाईअड्डे (मैसूर और हासन हवाईअड्डों को छोड़कर और वह भी केवल घरेलू प्रयोजनों हेतु) को बेंगलुरु हवाईअड्डे की उद्घाटन तिथि अर्थात 24 मई, 2008 की पच्चीसवीं वर्षगांठ से पहले बैंगलुरु हवाईअड्डे के 150 किलोमीटर की हवाई दूरी के भीतर किसी घरेलू हवाईअड्डे/अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के रूप में विकसित करने, उसमें सुधार करने या अपग्रेड करने की अनुमति नहीं है। इसलिएर, होसुर हवाईअड्डे को बोली प्रक्रिया के बाद के चरणों के लिए 'उड़ान' दस्तावेज़ से बाहर रखा गया था।

(ख) : सेलम हवाईअड्डा वर्तमान में विशुअल् फ़्लाइट् नियमों (वीएफआर) के तहत एटीआर-72 प्रकार के विमानों के लिए दिन के समय परिचालन हेतु उपयुक्त है। 3200 मीटर की रनवे लंबाई के साथ ए-321 प्रकार के विमानों के परिचालन के लिए सेलम हवाईअड्डे के विस्तार हेतु, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने तमिलनाडु राज्य सरकार को तीन चरणों में 460 एकड़ भूमि की आवश्यकता का अनुमान प्रस्तुत किया है। पहले चरण में, एटीआर-72 प्रकार के विमानों के लिए इंस्ट्रमन्ट् फ़्लाइट् नियम (आईएफआर) प्रचालनों को सक्षम बनाने हेतु 177 एकड़ भूमि का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय नागर विमानन नीति, 2016 के अनुसार, हवाईअड्डे के विकास के लिए निःशुल्क और सभी बाधाओं से मुक्त भूमि उपलब्ध कराने की ज़िम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की है। हवाईअड्डा परियोजनाओं के पूरा होने की समय-सीमा कई कारकों जैसे भूमि अधिग्रहण, अनिवार्य मंजूरियों की उपलब्धता, वित्तीय समापन आदि पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ) : जी हां, इस संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कुल ग्यारह शिकायतें प्राप्त हुईं थीं, जिनका समुचित निराकरण कर दिया गया है।

*****